

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय - डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के परिसर की चहारदीवारी के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू. 136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये) मात्र को रद्द कर नयी योजना के रूप में 8 फीट ऊँची R.C.C. चहारदीवारी निर्माण, बालू भराई एवं समतलीकरण कार्यों के लिए कुल रू. 654.00 (छः करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-9469, दिनांक 23.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलित राशि तथा दिनांक 13.10.2016 को सम्पन्न बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साईन्स सिटी, पटना के परिसर की चहारदीवारी के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू. 136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये) मात्र को रद्द कर नयी योजना के रूप में 8 फीट ऊँची R.C.C. चहारदीवारी निर्माण, बालू भराई एवं समतलीकरण कार्यों के लिए कुल रू. 654.00 (छः करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजना व्यय आय-व्ययक के "मुख्यशीर्ष-4059 -लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0117- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- P 4059800510117 है।

3. उक्त राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना भवन प्रमंडल, पटना को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना होंगे।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार पटना कोषागार, पटना से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, एडवांस प्लानिंग, प्रमंडल संख्या-1, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(II) व²-24/2012-

2695 /पटना, दिनांक- 25/10/2016

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/उप निदेशक (यो0)/परियोजना निदेशक, बी.सी.एस.टी., पटना/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

25/10/16

25/10/16